

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.10(3)नविवि/कोटा/80 पार्ट-आ

जयपुर दिनांक: 11/01/2022


अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(3)नविवि/3/80 पार्ट-आ दिनांक 10.06.2021 के द्वारा कोटा के नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान 2031 राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया जाकर जारी किया गया था।

नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जोनल डवलपमेन्ट प्लान के सम्बन्ध में लिए गए निर्णय के क्रम में कोटा मास्टर प्लान-2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अनुसरण में यह नोटिस दिया गया है कि कोटा के नगरीय क्षेत्र हेतु अनुमोदित मास्टर प्लान 2031 में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त कोटा मास्टर प्लान 2031 में किए गए संशोधनों का अवलोकन नगर विकास न्यास, कोटा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से


11/1/2022
(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, कोटा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, कोटा जोन, कोटा।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रालयी।

11

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय